8/10/25 SPP उप-1 अनिल कुमार

कुमार - दूरभाष नंबर की जांच करने के लिए
सामने फैसला की जो काम के
लिए हकदार की जाती है।
गलाद नं- 32 न उ के A/c पर
रिपोर्ट आई है कि उक्त गलाद
चलने - फिरने में असमर्थ है।
जबकि उक्त दोनों गवाहान के A/c
पर पूर्व में रिपोर्ट आई है कि
कि-म गलाद गए है। जिससे यह
प्रकट हो रहा है कि वे चलने
फिरने में समर्थ है। इसके अलावा
उक्त गलाद चाहे तो U.C. से सम्मान
के सकते है। गलाद नं- [redacted]
पर तामील पर रिपोर्ट
आई है कि उक्त गलाद का वर्तमान
पता मालूम नहीं चल रहा
जबकि यह सरकारी कर्मचारी है।
इस प्रकार उक्त गवाह का पता
मालूम किया जा सकता है
गवाह नं 19 की तामील नहीं
अदद आई है। अदर लिखने
गए तीनों से स्पष्ट है कि उक्त
गवाहान की तामील के पर्याप्त
प्रयास नहीं किए है। पुनः

गवाह सं. 32 व 33 को A/W ने तथा गवाह सं. 19 व 45 को I/W 5000 रु. ने क्रॉस किया गया। प्रकरण suggested case होने व गवाह ओपोज होने को नोट किया है। उक्त तामिले D.O.letter के माध्यम पुलिस अधिक्षक बांरा को प्रेषित है। जिस में यह भी लिखा गया कि SHO (डिफरगेंस) वाले प्रकरण में अतःमुद्दा फाल वगैरह में तलब करने पर पेश नहीं किया गया है। अंतिम मुलाक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पत्रावली पर पेश नहीं की है। अतः संबंधित SHO के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही हेतु कोर्ट-पालना को अवगत कराई। पत्रावली को पेश है।

दिनांक 15/10/25

विशिष्ट न्यायाधीश
अ.जा. / ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बारां (राज.)